18/3/26

पत्रावली वास्ते डिक्री पेश हुई। उभय पक्ष अनुसार पाठ पारीयान मुताबिक सहमति पत्र जरिये डिक्री बनाई गई। पिछली डिक्री शामिल किया जावे। डिक्री पत्र की नकल दी जाकर डिक्री जारी की जावे।

GCMS 2025/390

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.19 13:36:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारीः भरत जयप्रकाश मीना आई. ए. एस.

प्रकरण सं0194/25 GCMS:- 2025/390 **दायर दिनांक 25–06–2025**

अमरराम पुत्र श्री जेठाराम जाति जाट साकिन ग्राम रायिजासर स्टेशन तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

––– वादी

बनाम

1–कुम्भाराम पुत्र श्री जेठाराम जाति जाट साकिन राजियासर स्टेशन तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

2– शाखा प्रबन्धक एच डी एफ सी बैंक शाखा रावतसर

3– उपपंजीयक सूरतगढ

4– उप पंजीयक राजियासर

5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ पेरोकार राज

–––– प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 209 राज0 काश्त0 अधि0 1955

उपस्थित :–

1– श्री कमलदत्त शर्मा अभिभाषक वादी ।

2– श्री राजवीर भादू , जयवर्धन सिंह अभिभाषक प्रतिवादी न0 1

3– पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ ।

–:– निर्णय –:– **दिनांक :–** 18/03/2026

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । अभिभाषक वादी , अभिभाषक प्रतिवादी न0 1 एवं पैरोकार राज उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि व वादी एवं प्रतिवादी न0 1 के नाम से रोही मौजा पीपासर तहसील सूरतगढ के संयुक्त खाता सं0 19/895 के खसरा न0 406/128 में 3.466 है0 मय गै0मु0 0.126 है0 कुल 3.340 है0 बारानी एवं खसरा न0 426/128 में 6.515 है0 बारानी कुल 9.981 है0 बारानी मय गै0मु0 खातेदारी भूमि वादी एवं प्रतिवादी स0 1 के नाम से बहिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है । उक्त संयुक्त खाता की भूमि में वादी व प्रतिवादी न0 1 खातेदार कृषक है वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ने आपसी रजामंदी से रास्ता एव अन्य काश्त सम्बन्धी सुविधाओ को ध्यान में रखते हुए संयुक्त खाता की उक्त 9.981 है0 भूमि का मौका पर विभाजन अपने अपने हिस्से अनुसार कर रखा है । विभाजन के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 अपने–2 हिस्सा की भूमि पर काबिज होकर शांति पूर्वक तरीके से कास्त करते आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 की संयुक्त खाता की उक्त जैरवाद भूमि 9.855 है0 बारानी एव 0.126 है0 गै0मु0 कुल 9.981 है0 पर मौका पर बंटवारा किया गया है एव उसी बंटवारा अनुसार अपने हिस्से एवं कब्जा कास्त अनुसार वादी अमरराम पुत्र श्री जेठाराम जाति जाट साकिन राजियासर स्टेशन तहसील सूरतगढ की कब्जा काश्त भूमि वाके रोही पीपासर तहसील सूरतगढ के खसरा न0 406/128 मिन में 3.277 है0 पूर्वी पासा खातेदारी भूमि , खसरा न0 426/128 मिन में 1.650 है0 पूर्वी पासा कुल 4.927 है0 बारानी खातेदारी भूमि , प्रतिवादी सं0 1 कुम्भाराम पुत्र श्री जेठाराम जाति जाट साकिन राजियासर स्टे,ान तहसील सूरतगढ की कब्जा काश्त भूमि वाके रोही पीपासर तहसील सूरतगढ के खसरा न0 406/128 मिन में 0.063 है0 दक्षिण पासा , खसरा न0 426/128 मिन में 4.865 है0 पश्चिम पासा कुल 4.928 है0 बारानी खातेदारी भूमि का खाता विभाजन करवाने का निवेदन किया ।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर इसे रजिस्टर्ड किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । जिसमें प्रतिवादी न0 1 की तरफ से श्रीमान अभिभाषक राजवीर भादू एवं जयवर्धन सिंह तथा पेरोकार राज उपस्थित हुये । प्रतिवादी न0 1 के अभिभाषक द्वारा जबाब दावा प्रस्तुत किया गया । दावे एवं इकबाल दावा आने से वाद बिन्दु कायम किया जाना उचित नही समझते है।

साक्ष्य वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये जिस पर जिरह नहीं की गई । वादी एवं प्रतिवादी न0 1 के अभिभाषक की बहस सुनी गई। जिसमें वादी के विद्वान अभिभाषक ने दावे के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी न0 1 के नाम से संयुक्त खाते की खातेदारी भूमि राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.19 13:36:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

तहसील सूरतगढ के वाके पीपासर तहसील सूरतगढ के संयुक्त खाता सं0 19/895 के खसरा न0 406/128 में 3.466 है0 मय गै0मु0 0.126 है0 कुल 3.340 है0 बारानी एवं खसरा न0 426/128 में 6.515 है0 बारानी कुल 9.981 है0 बारानी मय गै0मु0 खातेदारी भूमि बहिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादी न0 1 ने आपसी सहमति से घरू बंटवारा कर लिया है । उक्त घरू बंटवारा के अनुसार वादी के हक व हिस्सा में भूमि वाके रोही पीपासर के खसरा न0 426/128 में 4.908 है0 बारानी पश्चिम पासा जिसके पूर्व में अमराराम , प्रतिवादी स0 1 के हक व हिस्सा में रोही पीपासर के खसरा न0 406/128 में 3.265 है0 बारानी , 0.126 है0 गै0मु0 कुल 3.391 है0 बारानी मय गै0मु0 उतर पासा व खसरा न0 426/128 में 1.519 है0 पूर्वी– उतरी पासा हिस्सा मे आई है एवं रोही पीपासर के खसरा न0 406/128 में 0.075 है0 दक्षिण पासा , खसरा न0 426/128 में 0.088 है0 दक्षिण पासा वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ने अपने संयुक्त खाता में रखी है । इसी सहमति–पत्र के मुताबिक ही वादी एवं प्रतिवादी न01 कास्त करते आ रहे है। और इसी कब्जा कास्त के अनुसार खाता विभाजन करवाना चाहते है । प्रतिवादी न0 1 के अभिभाषक ने भी सहमति–पत्र के तथ्यों पर सहमति प्रकट करते हुये वाद–पत्र को डिक्री किये जाने में सहमति प्रकट की ।

बहस सुनने के पश्चात पूर्ण पत्रावली का अवलोकन व मनन करते हुये वादी एवं प्रतिवादी न0 1 द्वारा प्रस्तुत सहमति –पत्र पर गौर किया गया । वादी एवं प्रतिवादी न0 1 द्वारा संयुक्त खाते की भूमि का खाता विभाजन कब्जा कास्त के मुताबिक मांगा गया जिस पर दोनो पक्षकारो द्वारा कोई भी आपत्ति प्रस्तुत नही की गई । इसलिए मुताबिक कब्जा काश्त खाता विभाजन किया जाना हम उचित समझते है ।

अतः उक्त विवेचन अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त रकबा रोही पीपासर तहसील सूरतगढ के खाता सं0 खाता सं0 19/895 के खसरा न0 406/128 की 3.466 है0 मय गै0मु0 0.126 है0 , खसरा न0 426/128 की 6.515 है0 कुल 9.981 है0 खातेदारी भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 की बहिस्सा बराबर खातेदारी भूमि का निम्न प्रकार खाता विभाजन स्वीकार किया जाता है:–

क्र. स.	नाम काश्तकार	ग्राम	ख0 न0	किला नम्बर / रकबा
1.	**कुम्भाराम पुत्र श्री जेठाराम जाति जाट साकिन राजियासर स्टेशन तहसील सूरतगढ खातेदार**	**पीपासर**	**426/128**	**4.908है0 बारानी पश्चिम पासा (पूर्व मे अमराराम)**
2.	**अमराराम पुत्र श्री जेठाराम जाति जाट साकिन राजियासर स्टेशन तहसील सूरतगढ खातेदार**	**पीपासर**	**406/128**	**3.265 है0 बारानी , 0.126 है0 गै0मु0 कुल 3.391 है0 बारानी मय गै0मु0 (उतर पासा)**
			426/128	**1.519 है0 (पूर्वी – उतरी पासा)**
3.	**कुम्भाराम, अमराराम पिसरान श्री जेठाराम जाति जाट साकिन राजियासर स्टेशन तहसील सूरतगढ खातेदार**	**पीपासर**	**406/128**	**0.075 है0 (दक्षिण पासा),**
			426/128	**0.088 है0 (दक्षिण पासा) ;**

इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते है तथा इसी अनुसार आदेश दिये जाने की डिक्री जारी हो । बैंक का रहन खातेदारो पर यथावत रहेगा। पत्रावली वाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18/03/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.19 13:36:03 IST
Reason: SelfAttested

(भरत जय प्रकाश मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

(आदेश 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

डिकी बमुकद्दम इश्तदाई

अज अदालत–सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी , सूरतगढ जिला श्री गंगानगर
बइजलास – श्री भरत जयप्रकाश मीना आई. ए. एस.

अनवान :

अमराराम पुत्र श्री जेठाराम जाति जाट साकिन ग्राम रायिजासर स्टेशन तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

––– वादी

बनाम

1–कुम्भाराम पुत्र श्री जेठाराम जाति जाट साकिन राजियासर स्टेशन तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

2– शाखा प्रबन्धक एच डी एफ सी बैंक शाखा रावतसर

3– उपपंजीयक सूरतगढ

4– उप पंजीयक राजियासर

5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ पेरोकार राज

–––– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 209 आर. टी. ए. मुकदमा न0 194 वर्ष 2025 यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वादी कमलदत भार्मा एवं प्रतिवादी न0 1 का अभिभाषक राजवीर भादू, जयवर्धन सिंह व राज पैरोकार तहसीलदार सूरतगढ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है ।

वाद वादी स्वीकार कर निम्न प्रकार से आदेशित कर डिक्री जारी करने के आदेश प्रदान किये जाते है :–

रोही पीपासर तहसील सूरतगढ के खाता सं0 खाता सं0 19/895 के खसरा न0 406/128 की 3.466 है0 मय गै0मु0 0.126 है0 , खसरा न0 426/128 की 6.515 है0 कुल 9.981 है0 खातेदारी भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 की बहिस्सा बराबर खातेदारी भूमि का निम्न प्रकार खाता विभाजन स्वीकार किया जाता है:–

क्र. स.	नाम काश्तकार	ग्राम	ख0 न0	किला नम्बर / रकबा
1.	**कुम्भाराम पुत्र श्री जेठाराम जाति जाट साकिन राजियासर स्टेशन तहसील सूरतगढ खातेदार**	**पीपासर**	**426/128**	**4.908है0 बारानी पश्चिम पासा (पूर्व मे अमराराम)**
2.	**अमराराम पुत्र श्री जेठाराम जाति जाट साकिन राजियासर स्टेशन तहसील सूरतगढ खातेदार**	**पीपासर**	**406/128**	**3.265 है0 बारानी , 0.126 है0 गै0मु0 कुल 3.391 है0 बारानी मय गै0मु0 (उतर पासा)**
			426/128	**1.519 है0 (पूर्वी – उतरी पासा)**
3.	**कुम्भाराम, अमराराम पिसरान श्री जेठाराम जाति जाट साकिन राजियासर स्टेशन तहसील सूरतगढ खातेदार**	**पीपासर**	**406/128**	**0.075 है0 (दक्षिण पासा),**
			426/128	**0.088 है0 (दक्षिण पासा) ,**

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.19 13:36:03 IST
Reason: SelfAttested

इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन करने के आदे[illegible] है । किसी पक्षकार की भुमि रहन है तो रहन का अंकन यथावत रहेगा ।

नोज ...×.....मुबलिग ...×.....बाबत ...×... खर्चा इस [illegible] में मय सूद व शहर ...×......फसदो की पालना......×........आज की तारीख से तारीख वसुलयाबी [illegible] अदा करे ।

बसिन्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 18/03/26 को जारी की गई।

(भरत जयप्रकाश मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ